

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल गवा लियर हैम्प रोवा, जिला-रोवा नं०५०



R.- 2109 - ११६

भगवानदीन सोधिया तनय श्री लालू सोधिया उमे ५० वर्ष, निवासी श्री गोपन बघोड़ी, पो०३० छुक्कास, आना-उमिलिया, तहसील- सिंहाजल, जिला सीधी ₹३०५००

बनाम

- 1- योगिया पर्नी श्री रामलखन पटेल
- 2- रामलखन श्री लौटन पटेल
- 3- भागीरथी पटेल तनय श्रीशम्भु प्रसाद पटेल
- 4- शुभी पटेल तनय श्री शम्भु प्रसाद पटेल
- 5- छोड़बी पटेल शम्भु पर्नी श्री शम्भु प्रसाद पटेल

अकूपड़व पाठेल
दस्ती निवासी गोपन बघोड़ी, तहसील- सिंहाजल, जिला-सीधी ₹३०५००
दाता दिनांक ११-०६-१४ के

सुन्दर ११-६-१४

सर्किट कोर्ट रिज

निगरानी विल्हेम आदेश न्यायालय तहसीलदार सिंहाजल दे प्रृष्ठरण दिनांक- २३०-७०/१३-१४ आदेश दिनांक ५/६/२०१४, २३/८/१४.

निगरानी अन्तर्गत धारा-५० मे००५०-राजस्व संहिता सं० १९५९।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

१०१४ यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि स्वं प्रतिया ते विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

१०२४ यह कि भूमि नम्बर 273 लैन फ्ल ०.०६० है, वे गू-भाग से आवेदक को बेदखल करने हेतु एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार के न्यायालय में धारा-२५० मे००५०-राजस्व संहिता के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत आदेशक्रम द्वारा प्रस्तुत दिया गया। जिसमें माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा अपने प्रृष्ठरण

360

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निग.2109-II / 2014

जिला—सीधी

भगवानदीन सोंधिया / चमेलिया पटेल वगैरः

(1)

(2)

(3)

23.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के.देव. पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिहावल के प्रकरण क्रमांक 23/अ-70/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 व 23.08.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहुपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।


(बी.एम.शर्मा),
सदस्य